सीधी शहर में गहराया जलसंकट

कुर्वाह घाट में लगे पावर पम्प के जलने से पानी को तरसे लोग

नवभारत न्यूज

सीधी, 6 अगस्त. भरे बरसात में सीधी शहर में जल संकट गहराया हुआ है. नल से पानी ना मिलने के कारण लोग काफी परेशान हैं. यह समस्या करीब एक महीने से निर्मित है. सोन नदी के कुर्वाह घाट में लगे एक पावर पम्प के जल जाने के कारण शहर में एक दिन के अंतराल से नल में पानी की सप्लाई की जा रही है.

बताते चलें कि सीधी शहर की नल-जल सप्लाई व्यवस्था सोन नदी से जुड़ी हुई है. सोन नदी के कुर्वाह घाट में पानी की सप्लाई के लिये दो पावर पम्प लगाये गये हैं. इन पावर पम्पों से बारी-बारी से पानी की सप्लाई सोन नदी से सीधे मधुरी स्थित फिल्टर प्लांट में की जाती है. 24 घंटे सोन नदी से पानी की सप्लाई फिल्टर प्लांट में करने की व्यवस्था बनाई गई है. करीब एक माह से तेज बारिश एवं बाणसागर बांध के गेटों को खोल देने से सोन नदी में जल स्तर काफी बढ़ गया है. जिसके चलते पावर पम्पों से संबद्ध पाइप लाइन में लगातार सोन नदी से रेता आने के कारण एक पावर पम्प जल गया. पावर पम्प के जलने पर इसको सुधार के लिये सतना भेजा गया है. वहां पावर पम्प के सुधार में भी कई दिनों का समय लग रहा है. अब भी करीब एक सप्ताह में पावर पम्प के आने की संभावना बताई जा रही है. उधर नगर पालिका सूत्रों का कहना है कि नगर पालिका परिषद द्वारा एक और पावर पम्प की खरीदी की प्रक्रिया चल रही है. नवीन पावर पम्प आने के बाद पम्प जलने के बाद जलसंकट की स्थिति गंभीर आगे नहीं रहेगी. नल से करीब एक महीने से पानी मिलने को लेकर पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुई है. कभी पानी आता है और कभी पानी नहीं आता. पानी अगर आता भी है तो 5-6 बाल्टी पानी आने के बाद नल बंद हो जाता है. सबसे ज्यादा समस्याएं घर की महिलाओं को पानी न मिलने से हो रही है.

> तत्संबंध में बाजार क्षेत्र के वार्डवासियों का कहना था कि स्थिति यह है कि कभी नल से पानी मिलता है और कभी नहीं मिलता. कुछ वार्डो में स्थिति यह है कि यदि नल से पानी आना शुरू भी हुआ हो 5-6 बाल्टी से ज्यादा नहीं आता. रहवासियों का कहना है कि एक माह से पानी को लेकर बड़ा भटकाव बना हुआ है. यदि नल से पानी शुरू भी हुआ तो 5-6 बाल्टी से ज्यादा नहीं मिलता. साथ ही पानी भी काफी गंदा एवं प्रदूषित आता है.

ब्रेक फेल ट्रक रेलवे स्टेशन में घुसा, मालगाड़ी से टकराया

उमरिया 6 अगस्त. जिले के जनपद मुख्यालय पाली में बुधवार को एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर गया और ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गया. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे. ट्रक कटनी से बुढार की ओर जा रहा था. अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया. यह देखते ही चालक नौशाद अहमद, निवासी धनपुरी ने लोगों को बचाने के लिए खुद की परवाह न करते हुए वाहन अपने बाएं ओर रेलवे ट्रैक की ओर मोड़ दिया. वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी, ट्रक उसी से जा भिड़ा. इससे कई लोगों की जान तो बच गई पर ट्रक का हिस्सा चकनाचूर हो गया. ट्रक की इस टक्कर से मालगाड़ी को भी मामूली नुकसान हुआ है.

खंडहर मकान में पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते सात गिरफ्तार

आरोपियों से देशी कट्टा, धारदार हथियार व मिर्जी पाउडर जब्त

रतलाम, 6 अगस्त. फोरल के पास एक खंडहर मकान में बैठकर कुछ लोगों द्वारा एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाई जा रही थी. पुलिस ने दो टीम बनाई और कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिफ्तार किया. इनके कब्जे से देशी कट्टा, धारदार हथियार सहित मिर्जी पाउडर व अन्य लूट में उपयोग करने वाली सामग्री जब्त की हैं.

थाना बिलपांक पर मुखबीर ने सूचना पर सात बदमाश हथियारों से लेस होकर महु नीमच रोड फोरलेन रोड सरवड के पास एक खंडहर में बैठकर शराब पी रहे है. पास में स्थित पेट्रोल पम्प पर लूटपाट कर डाका डालने की बात कर रहे है. सूचना पर थाना प्रभारी बिलपांक अय्युब खान के साथ दो टीम गठित कर बदमाशो कि धडपकड़ के निर्देश दिए गए. गठित कर मुखबीर कि सूचना के आधार पर मुखबीर के बताये स्थान महु नीमच रोड फोरलेन रोड सरवड के पास एक खंडहर पहुंचकर 7 व्यक्ति जो घेरा बनाकर नजदीक के पेट्रोल पम्प लुटपाट कर डकेटी की योजना बना रहे है, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा व एक 12 बोर का देशी कट्टा, 2 जिन्दा कारतुस, लोहे की 1 धारदार तरवार, 1 हाशिया, सब्बल, लोहे के पाइप, मिर्ची पावडर आदि सामग्री जप्त की.

जंगल में दलित युवती से गैंगरेप

▸ प्रेमी पर डंडा से हमला, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज

सीधी, 6 अगस्त. जंगल में दलित युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. युवती अपने प्रेमी के साथ जंगल में घूमने और फोटो खिंचाने गई थी. यहां पांच बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया. इसके बाद युवती से गैंगरेप किया. घटना चुरहट थाना क्षेत्र के कठौतहा के समीपी जंगल की है.

वारदात के बाद पीड़िता रोती-बिलखती जंगल से बाहर गांव में आई. उसने भवन निर्माण का काम कर रहे लोगों से मदद मांगी और आपबीती सुनाई. सरपंच पति दलबीर सिंह को युवती ने बताया कि वह प्रेमी के साथ जंगल से बाहर आने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी आरोपियों ने मुंह दबा दिया और उसके प्रेमी के सिर पर डंडा मारा. वह जमीन पर गिर पड़ा. तीन आरोपी पीड़िता को जंगल की ओर खींचकर ले गए, जबकि दो युवक प्रेमी को पकड़े रहे. पीड़िता ने बताया कि वह गिड़गिड़ाती रही.

इनका कहना है

घटना की जानकारी सबसे पहले सेमरिया थाने को मिली थी, क्योंकि पीड़िता पहले वहां पहुंची. अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराने के बाद थाने में दर्ज किया. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूंछताछ की जा रही है.

- आशुतोष द्विवेदी, एसडीओपी चुरहट

मोबाइल लेकर भागे

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकाया कि अगर किसी को बताया तो दोनों को जान से मार देंगे. दोनों के मोबाइल भी छीन लिए. किसी तरह खुद को संभालते हुए पीड़िता जंगल से दोपहर करीब 2.30 बाहर आई. इसके बाद दलवीर सिंह गोंड ने पुलिस को सूचना दी. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जंगल में गई. वहां एक टॉवल और कुछ जगहों पर संघर्ष के निशान मिले. वहीं, पुलिस पूरी रात गांव-गांव जाकर पूछताछ करती रही और संदिग्धों की तलाश जारी रही.

उप संचालक कृषि ने खाद-बीज विक्रेताओं को दिया नोटिस

रीवा. राजस्व अधिकारियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद-बीज की बिक्री की लगातार निगरानी कर है. अधिकारियों द्वारा दुकानों के निरीक्षण में अनियमितताओं के प्रतिवेदन के आधार पर उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने 13 खाद-बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है. विक्रेताओं को दुकान का लाइसेंस निलंबित करने व नोटिस दिया है. इस दौरान एक्सपायर डेट की खाद मिलने, बिक्री के अनुसार भण्डार का मिलान न होने एवं दुकानदार द्वारा खाद और बीज की बिक्री के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर नोटिस दिया गया है.

शासकीय भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाया

लोगों ने बना रखी थी झोपड़ियां, संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

अमरकंटक 6 अगस्त. मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली/पवित्र नगरी अमरकंटक के दक्षिण तट वार्ड क्र 9 में प्रातः लगभग 9.30 बजे नगर परिषद सीएमओ और उनकी टीम तथा थाना अमरकंटक पुलिस प्रशासन का दल के सहयोग से शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बने झोपड़ियां लगभग 10/11 स्थलों पर से हटा दिया गया.

लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर नगर पालिका अमरकंटक और थाना अमरकंटक की संयुक्त टीम बुधवार सुबह 9-30 बजे संयुक्त रूप से कार्यवाही कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया.

वार्ड क्रमांक 09 में कुछ समय पूर्व शासकीय भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर लिया गया था और हाल ही में नए निर्माण भी शुरू हो गए थे. पूर्व में चेतावनी भी दी जा चुकी थी बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने कब्जा बरकरार रखा.

नगर पालिका सीएमओ चैन सिंह परस्ते की उपस्थिति में नगर पालिका का दल और पुलिस विभाग बल ने पहुंचकर लगभग 10-11 झोपड़ियां, स्थल भूमि को खाली करवाई गई .सीएमओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. अगर इस तरह समय पर कार्रवाई हो तो अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है अन्यथा कच्चे से पक्के निर्माण और ताले लगने के बाद प्रशासन को कार्यवाही करने में परेशानी अधिक बढ़ जाती है .कुछ दिवस पहले जिला प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी और वीडियो ग्राफी कराई गई थी कि आगे अतिक्रमण होने पर तत्काल कार्यवाही होगी. वार्ड 09 के पार्षद जोहान लाल चंद्रवंशी ने कहा कि हमारे वार्ड में जो आज हटाने की कार्यवाही हुई उससे लोगों ने भय और अतिक्रमण होना रुकेगा . नगर परिषद सीएमओ चैन सिंह परस्ते ने बताया कि यह एक मुहिम का हिस्सा है जो लोग शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसे हटाया ही जाएगा .

> अमरकंटक एक धार्मिक और पर्यटक नगरी है . यहां प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्वतीय वन , पर्वत , जल प्रपातों से घिरा हुआ पवित्र तीर्थ और प्राकृतिक धरोहर तथा जैव विविधता का अद्भुत संगम है . ऐसे स्थलों को अतिक्रमण की चपेट से बाहर रखना ही होगा .

लव जिहाद फंडिंग केस में पार्षद को कोर्ट ने दी चेतावनी

▸ अब नहीं मिली मोहलत, सामने नहीं आया तो होगी संपत्ति कुर्क

इंदौर 6 अगस्त. लव जिहाद फंडिंग केस में फरार चल रहे पार्षद अनवर कादरी को जिला अदालत ने खुद को पेश करने के लिए एक माह की अंतिम मोहलत दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि यदि वह तय समयसीमा में सामने नहीं आता, तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि अनवर कादरी की गिरफ्तारी में सहयोग के लिए उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया है. साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है. फिलहाल कोर्ट ने अनवर कादरी को फरार माना है, भगोड़ा घोषित नहीं किया है. इस संबंध में कादरी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे का कहना है कि कादरी के पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में उसके विदेश भागने की संभावना कम है. उन्होंने कहा कि वह चाहे देश में हो या देश के बाहर, गिरफ्तारी के लिए कानूनन सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन फिलहाल उसे अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा घोषित करने जैसी स्थिति नहीं बनी है. कुल मिलाकर, अब पार्षद अनवर कादरी के पास कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक माह का समय है.

गाय की नाक में ताला डालकर की हैवानियत

गुना जिले के जामनेर में लोग सड़कों पर उतरे, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

गुना, 6 अगस्त. जिले के जामनेर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. गत देर रात अज्ञात व्यक्ति ने एक निर्दोष गाय की नाक को बेरहमी से छेदकर उसमें साइकिल का ताला डाल दिया.

इस हैवानियत का मकसद इतना क्रूर था कि गाय मुंह न खोल पाए, न कुछ खा सके और तड़प-तड़प कर मर जाए. यह पूरी घटना सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. दर्जनों युवा सडकों पर उतर आए और थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. इस पूरी घटना की रिपोर्ट फरियादी मोहित जैन पुत्र

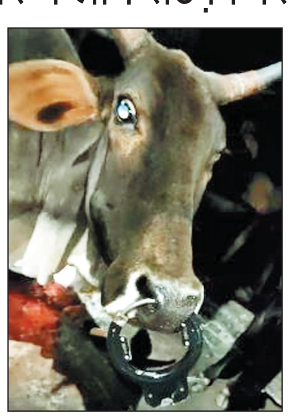

प्रकाशचंद जैन निवासी जामनेर ने अपने साथियों गोलू मेर, नीरज मीना, नमन जैन, द्वियांश चौकसे, जतिन जैन, पवित्र शर्मा, धर्मेन्द्र ने थाना जामनेर में दर्ज कराई.

नाक से बह रहा था खून

फरियादी ने बताया कि गत रात करीब 11.30 बजे जतिन जैन ने सूचना दी कि संतोष धाकड़ की दुकान के पास एक गाय की नाक में ताला डाल दिया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और दर्द से तड़प रही है. सूचना मिलते ही सभी लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि गाय की नाक से खून बह रहा था, वह दर्द से कराह रही थी. तत्काल उन्होंने ग्राइंडर मशीन मंगाई और सावधानीपूर्वक ताले को काटकर गाय को राहत पहुंचाई. इसके बाद घायल गाय को आचार्य विद्यासागर गौकल्याण समिति जामनेर में सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों में इस अमानवीय कृत्य को लेकर गहरा आक्रोश है. बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 के तहत और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा 11(1)(एफ) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है.

छात्रों से 48 सौ यूएस डॉलर की वसूली को चुनौती

▸ हाईकोर्ट ने डीएमई व अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर 6, अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में एनआरआई कोटे से एमबीबीएस करने वालों से प्रोविजनल डिग्री के लिए 48 सौ यूएस डॉलर (करीब 4 लाख 20 हजार रुपए) की वसूली को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया.

जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने डीएमई, मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर और प्रवेश एवं फीस निर्धारण समिति के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. बैतूल निवासी डॉ. सर्वज्ञ चौहान की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2024 में एमबीबीएस की परीक्षा दी थी.अब उसे प्रोविजनल डिग्री की जरूरत है. आवेदक ने कहा एनआरआई कोटे से एमबीबीएस करने वालों को इसके लिए 48 सौ यूएस डॉलर देने कहा जाता है, जबकि भारतीय छात्रों से केवल 2 सौ रुपए लिए जाते हैं, यह भेदभावपूर्ण नियम है.

न्यायालय ने कहा फिलहाल याचिकाकर्ता को उक्त फस जमा कराने पर प्रोविशनल डिग्री दी जाए यदि याचिकाकर्ता कोर्ट से जीत जाता है, तो सरकार याचिकाकर्ता को उक्त वसूल की गई फीस वापस करने के लिए बाध्य होगी।

खंडवा : एनएचडीसी कार्यालय में कुर्की

खंडवा 6 अगस्त. इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय की टीम ने एनएचडीसी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की.

इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट ने एनएचडीसी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. जिला न्यायालय के कर्मचारी बुधवार को एनएचडीसी कार्यालय पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की. यह कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली,जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई.मामला एक

किसान दशरथ पिता नन्नू के 48 लाख रुपए के मुआवजे से जुड़ा है, जिसे एनएचडीसी ने अब तक मुआवजा नहीं चुकाया था. इस मामले में कोर्ट का आदेश साफ था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर कुर्की करनी पड़ी. प्रभावित के वकील प्रणेंद्र राका ने कहा कि कोर्ट का आदेश लंबे समय से था, लेकिन एनएचडीसी ने मुआवजा नहीं दिया. मजबूरी में कुर्की की कार्रवाई करानी पड़ी. ये प्रभावितों की जीत है. एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देंगे.

महिला की नृशंस हत्या, गला रेत कर वारदात को दिया अंजाम

अंगुली-कान काटकर जेवर ले गए हत्यारे

छिंदवाड़ा, 6 अगस्त. परासिया में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने एक बार फिर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला वार्ड क्रमांक 16 का है, जहां मंगलवार शाम सात से आठ बजे के बीच एक महिला की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी.

हत्यारे महिला के हाथ की अंगुली और कान काटकर उसके गहने भी ले गए. मृतिका की पहचान 65 वर्षीय निर्मला सनोडिया के रूप में हुई है, जो वेकोलि पेंच क्षेत्र के केंद्रीय चिकित्सालय से रिटायर्ड थीं और नगर के वेकोलि आवास में अकेली रहती थीं. स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के समय न तो किसी प्रकार का शोरगुल सुनाई दिया और न ही किसी को महिला की चीख सुनाई दी.

वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक बच्ची खेलते हुए मृतका के दरवाजे तक पहुंची और अंदर का भयावह दृश्य देखकर शोर मचाया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआती जांच में हत्या से संबंधित कोई स्पष्ट सबूत घटनास्थल से नहीं मिल पाया.

2 क्लिनिक सील, एफआईआर के निर्देश

झाबुआ 6 अगस्त. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मप्र के आयुक्त के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बघेल के आदेश पर जिले में गठित स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा जिलेभर में जांच कर अपंजीकृत एवं बिना डिग्री के फर्जी तरीके से क्लिनिक एवं अस्पतालों का संचालन करने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रहीं है.

इसी क्रम में 6 अगस्त को दोपहर एसडीएम झाबुआ भास्कर गामले के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग के गठित दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र भायल, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिथनपुर डॉ. हेमन्त देवड़ा, प्रभारी डिप्टी एमईआईओ झाबुआ प्रेम डेनियल एवं संगणक झाबुआ अभिषेक तोमर ने जिला मुख्यालय पर जांच अभियान संचालित किया. करीब 2-3 घंटे तक चले इस जांच अभियान में शहर में कुल 6 क्लिनिक एवं अस्पतालों की जांच की गई. जिसमें 2 क्लिनिक टीचर्स कॉलोनी में शुभमंगल अधिकारी के यहां जांच में अपंजीकृत एवं बिना डिग्री फर्जी तरीके से रोगियों का उपचार करने एवं सिद्धेश्वर कॉलोनी में प्रोबिरकुमार अधिकारी के यहां भी चेकिंग में अपंजीकृत फर्जी रूप से मरीजों का उपचार करते हुए पाए जाने पर इन क्लिनिकों को सील कर क्लिनिक संचालकों को पुलिस की मद्द से हिरासत में लेकर इन पर एफआईआर हेतु पुलिस थाना भिजवाया गया.

> **कई क्लिनिक संचालक हुए फरार**
>
> इसके अलावा टीम ने शहर के आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी चेकिंग अभियान चलाकर क्लिनिक एवं अस्पतालों की जांच की. उधर इस कार्रवाई अभियान के भय से शहर में कई अवैध एवं फर्जी क्लिनिक के संचालक अपना क्लिनिक बंद करके फरार हो गए. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र भायल ने बताया कि यह चेकिंग अभियान आगामी दिनों में भी सत्त जारी रखा जाएगा.

ग्राम देवरीकला में की जा रही थी गांजा की खेती, एक गिरफ्तार

चौरई पुलिस ने गांजा के पौधे जब्त किए

छिंदवाड़ा, 6 अगस्त. चौरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरीकला में गांजा की खेती की जा रही थी. उक्त बात की सूचना मिलने के बाद आज पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश देकर 17 किलो गांजा के पौधे जबत कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता गुप्ता व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता द्वारा अवैध गतिविधियो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूध्द सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं. जिसके चलते पुलिस अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम देवरीकला निवासी सुरेश पिता बाबूलाल वर्मा 50 वर्ष अपने खेत में गांजे की खेती कर रहा है.

उक्त बात की सूचना मिलने के बाद चौरई पुलिस की टीम ने ग्राम देवरीकला में दबिश देकर सुरेश वर्मा को हिरासत में लेकर उसकी निशांदेही पर ग्राम देवरीकला में स्थित आरोपी के खेत पहुंची जहां पुलिस ने खेत में गांजे के पौधे लगे हुए पाया. पुलिस ने खेत में लगे पौधे उखाड़ कर जब्त कर लिया.

आरटीओ ने 56 केस में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

रीवा, 6 अगस्त, कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला सडक् सुरक्षा समिति के निर्देश पर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) द्वारा सख्त कदम उठाया गया है. हाल ही में रीवा शहर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई व्यापक जांच के दौरान कुल 56 प्रकरण ऐसे पाए गए जिनमें वाहन चालकों ने गंभीर रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था. इन मामलों में इन सभी 56 मामलों को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 56 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

मनमानी ▸ पेट्रोल पंप कर्मी ने बिना रोक-टोक डाला पेट्रोल, वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने पंप किया सील

हेलमेट की जगह सिर पर रखा दूध का ढक्कन !

इंदौर, 6 अगस्त. शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन जहां लगातार जागरूकता व सख्ती दोनों का सहारा ले रहा है, वहीं कुछ लोग नियमों की खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रहे. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला नेमावर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर सामने आया है, जहां एक युवक ने हेलमेट की जगह सिर पर दूध के कंटेनर का ढक्कन रखकर पेट्रोल भरवा लिया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न सिर्फ मजाक बना रहा है, बल्कि पेट्रोल पंप पर तैनात महिला कर्मचारी भी बिना किसी आपत्ति के उसे पेट्रोल भर देती है. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने संबंधित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है.

> इधर, प्रशासन का कहना है कि कलेक्टर के आदेश के तहत एक अगस्त से लागू हुए नए नियमों के अनुसार, बिना हेलमेट किसी भी टू-व्हीलर सवार को पेट्रोल नहीं दिया जा सकता. बावजूद इसके पंप कर्मचारी ने निर्देश का पालन नहीं किया और युवक की असामान्य हरकत पर भी आंखें मूंद लीं. इस प्रकरण को प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही का प्रतीक मानते हुए चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इसका वीडियो भी वायरल होते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत जांच कराई और पंप को सील करने की कार्रवाई कर दी.